बिहार सरकार
ऊर्जा विभाग

पत्रांक–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 पटना, दिनांक–

सेवा में,

महालेखाकार (लेखा एवं हक),
बिहार,वीरचन्द पटेल मार्ग, पटना।

विषयः– **दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर0ई0सी0 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अन्तर्गत 21 जिलों के लिए 3814.06 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवशेष राशि 219.96 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ छियानवे लाख) रूपये राज्य योजना से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान करने के संबंध में।**

<u>आदेश–स्वीकृत।</u>

राज्यादेश संख्या–2455 दिनांक–23.08.2015 के द्वारा दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर0ई0सी0 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के लिए 3394.10 करोड़ रूपये की अनुमोदित स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु कुल राशि 3394.10 करोड़ रूपये का 60 प्रतिशत भारत सरकार द्वारा नियुक्त नोडल एजेंसी आर0ई0सी0 के माध्यम से अनुदान स्वरूप, 10 प्रतिशत राज्य सरकार द्वारा (339.41 करोड़ रूपये) हिस्सा पूँजी के रूप में एवं 30 प्रतिशत वित्तीय संस्थानों द्वारा ऋण स्वरूप उपलब्ध कराने की सैद्धांतिक स्वीकृति तथा नये शक्ति उपकेन्द्र के निर्माण हेतु आवश्यक भू–खण्ड के क्रय में आने वाले वास्तविक व्यय की शत् प्रतिशत प्रतिपूर्ती राज्य योजना से करने की स्वीकृति एवं आर0ई0सी0, बिहार सरकार तथा वितरण कंपनी के बीच त्रिपक्षीय एकरारनामा करने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके उपरांत विभागीय राज्यादेश संख्या–265 दिनांक–30.01.2019 के द्वारा इस योजना की पुनरीक्षित लागत 3814.06 करोड़ रूपये की प्रशासनिक स्वीकृति एवं अंतर की कुल राशि 419.96 करोड़ (चार सौ उन्नीस करोड़ छियानवे लाख) रूपये राज्य योजना से उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है। इस योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2016–17 में राज्यादेश संख्या–160 दिनांक–24.01.2017 द्वारा 75.00 करोड़ रूपये, राज्यादेश संख्या–412 दिनांक–10.02.2017 द्वारा 79.65 करोड़ रूपये, वित्तीय वर्ष 2017–18 में राज्यादेश संख्या–2576 दिनांक–11.08.2017 द्वारा 184.76 करोड़ रूपये तथा वित्तीय वर्ष 2018–19 में राज्यादेश संख्या–265 दिनांक–30.01.2019 द्वारा 200.00 करोड़ रूपये अर्थात कुल 539.41 करोड़ रूपये राज्य सरकार द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराया गया है। नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के द्वारा पूर्व में उपलब्ध कराये गये राशि के अतिरिक्त चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 में 219.96 करोड़ रूपये की मांग की गयी है, जिसे उपलब्ध कराया जाना आवश्यक है।

2. उक्त आलोक में दीन दयाल उपाध्याय ग्राम ज्योति योजना (DDUGJY) अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अलग कृषि फीडर के निर्माण, वितरण एवं उप संचरण लाईन सुदृढ़ीकरण एवं विस्तारीकरण तथा मीटरीकरण करने हेतु नोडल एजेंसी आर0ई0सी0 द्वारा नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के अन्तर्गत 21 जिलों के लिए 3814.06 करोड़ रूपये की पुनरीक्षित लागत की स्वीकृत योजना के कार्यान्वयन हेतु वित्तीय वर्ष 2019–20 में अवशेष राशि 219.96 करोड़ (दो सौ उन्नीस करोड़ छियानवे लाख) रूपये राज्य योजना से नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 को उपलब्ध कराने की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

3. उक्त राशि माँग सं0–10, मुख्य शीर्ष 4801–बिजली परियोजनाओं पर पूँजीगत परिव्यय–उप मुख्य शीर्ष–05 संचरण तथा वितरण, लघु शीर्ष–190–सार्वजनिक क्षेत्र के तथा अन्य उपक्रमों में निवेश, उपशीर्ष–0111–बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 की परियोजना, विपत्र कोड–10–4801051900111 विषय शीर्ष 5401–निवेश के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में उपबंधित राशि से विकलनीय होगा।

4. इस राशि की निकासी उप सचिव–सह–निकासी एवं व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, बिहार, पटना के द्वारा CFMS के माध्यम से सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना से कर नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 के व्यक्तिगत लेखा खाता (पी०एल० खाता) के मुख्य शीर्ष 8448–स्थानीय निधियों की जमा, उप मुख्य शीर्ष–00, लघु शीर्ष–120–अन्य निधियाँ, उपशीर्ष–0048–नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0, व्यय शीर्ष–L8448001200047 एवं प्राप्तियाँ–K–8448001200048 में जमा की जाएगी।

5. नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 द्वारा राशि की निकासी कोषागार में खोले गए पी०एल० खाता संख्या क्रमशः PLA276 से की जाएगी।

6. वित्त विभाग के संकल्प संख्या–3758 दिनांक–31.05.2017 के आलोक में परियोजना की स्वीकृति प्रदान की जाती है।

7. वित्त विभाग के परिपत्र संख्या 7355 दिनांक 05.10.2007 के अनुसार इसमें महालेखाकार, बिहार, पटना से प्राधिकार पत्र की आवश्यकता नहीं है।

8. उक्त योजना की स्वीकृति हेतु माननीय मंत्री का अनुमोदन संचिका संख्या–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 के पृष्ठ संख्या–63/टि0 पर दिनांक–11.01.2019 को प्राप्त है।

9. राज्यादेश पर आंतरिक वित्तीय सलाहकार की सहमति संचिका संख्या–प्र0/ऊर्जा DDUGJY–03/2015 के पृष्ठ संख्या–101/टि0 पर दिनांक–19.12.2019 को प्राप्त है।

बिहार राज्यपाल के आदेश से

ह0/–
(प्रत्यय अमृत)
सरकार के प्रधान सचिव।

/Baljeet Jha/F.Y.-2019/Energy Deptt.(Allotments & Others)/A.O & S.O/Sanction Orders

ज्ञापांक–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 / पटना, दिनांक––

प्रतिलिपिः–महालेखाकार(लेखा परीक्षा), बिहार, पटना / कोषागार पदाधिकारी, सचिवालय कोषागार, सिंचाई भवन, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0 / –
सरकार के प्रधान सचिव।

ज्ञापांक–प्र0 / ऊर्जा DDUGJY–03 / 2015 24 / पटना, दिनांक– 06/01/2020

प्रतिलिपिः–वित्त विभाग, बजट शाखा / प्रधान सचिव, वित्त विभाग, बिहार, पटना / प्रधान सचिव, योजना एवं विकास विभाग, बिहार, पटना / बजट शाखा, ऊर्जा विभाग, पटना / उप सचिव–सह–निकासी एव व्ययन पदाधिकारी, ऊर्जा विभाग, पटना / लेखा शाखा, ऊर्जा विभाग (तीन प्रतियों में), पटना / अध्यक्ष–सह–प्रबन्ध निदेशक, बिहार स्टेट पावर (हो0) कं0 लि0 / प्रबन्ध निदेशक, नॉर्थ बिहार पावर डिस्ट्रीब्यूशन कं0 लि0 / आई0टी0 मैनेजर, ऊर्जा विभाग, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

सरकार के प्रधान सचिव।